order Sheet [Contd]

प्र0क0 74/2016

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.12.2017	परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री गोहद सिहत उनके अधिवक्ता श्री विकास कांकर उप0। अमियुक्त / गण सिहत सिरनाम सिंह आदि उप0 / आरोपी अनुपस्थित। प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त / गण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सिहत धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोकअदालत के मान से व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है। उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है। परिवादी ने स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना प्रकट किया। अभियुक्त / गण उक्त राजीनामें से सहमत हैं। चूंकि परिवादी की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विद्युत उर्जा की राशि नेशनल / मेगा लोक अदालत के मान से तथा शमन शुल्क जमा हो चुकी है। अतः उक्त आधार पर उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना प्रकट होता है। राजीनामा लोक नीति के विरुद्ध न होने से धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किया गया। राजीनामें के आधार पर अभियुक्त / गण दोषमुक्त किया गया। आरोपी का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बापस बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो। प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।	
	पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0—20 एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड	